विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 509/वि0स0/प0का0/76(प)/2005

लखनऊ, दिनांक 27 फरवरी, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, मो0 अब्दुल्ला आजम खां, उत्तर प्रदेश विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-34, स्वार, जिला-रामपुर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं;

और, चूंकि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या-08 आफ 2017 नवाब काजिम अली खां बनाम मो0 अब्दुल्ला आजम खां में दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को पारित निर्णय द्वारा मो0 अब्दुल्ला आजम खां, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-34, स्वार, जनपद रामपुर का निर्वाचन शून्य करार देते हुए निर्वाचन को रद्द घोषित किया है। मा0 उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के विषय में किसी स्थगनादेश की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अतएव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-107(1) के अन्तर्गत मो0 अब्दुल्ला आजम खां का निर्वाचन मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से विधि शून्य माना जायेगा एवं मो0 अब्दुल्ला आजम खां को उसी तिथि से निरर्ह माना जायेगा;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में मो0 अब्दुल्ला आजम खां का उक्त स्थान दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 509(1-8)/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-मा0 राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को मा0 राज्यपाल की सूचनार्थ,

2-मो0 अब्दुल्ला आजम खां, घेर मीर बाज खां, मस्जिद-ए-रब्बी, जेल रोड, जिला रामपुर,

3-उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण,

4-जिलाधिकारी जनपद-रामपुर,

5-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

6-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

7-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
8-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

बृज भूषण दुबे,
विशेष सचिव।

संख्या : 509(2)/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली (फैक्स सं0 011-2305 2007/2305 2525) को मो0 अब्दुल्ला आजम खां की विधान सभा की सदस्यता निरर्हित होने के फलस्वरूप हुई उक्त रिक्ति की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

बृज भूषण दुबे,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 323 विधान सभा (544)-27-02-2020-600 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 251/वि0स0/प0का0/79(प)/2019

लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-162-बांगरमऊ, जिला-उन्नाव से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं;

और, चूंकि श्री कुलदीप सिंह सेंगर, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-162-बांगरमऊ को पंजीकृत मु0सं0-448/2019, सी0बी0आई0 बनाम श्री कुलदीप सिंह सेंगर, आर0सी0 नं0-08(एस)/2018, एफ0आई0आर0 संख्या-96/2018 (थाना माखी), उत्तर प्रदेश, पी0एस0: सी0बी0आई0/ए0सी0बी0, लखनऊ, सी0एन0आर0 नं0-डीएलडब्ल्यूटी01-006153-2019 धारा-376(2) आई0पी0सी0 एवं 5(सी) एण्ड 6 पाक्सो ऐक्ट, 2012 के अन्तर्गत दोष सिद्ध पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम), दिल्ली न्यायालय के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 द्वारा आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र सं0-509/GEN/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार श्री कुलदीप सिंह सेंगर दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 से निरर्ह माने जायेंगे;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री कुलदीप सिंह सेंगर का उक्त स्थान दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 251(1-8)/वि0स0/प0का0/79(प)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-मा0 राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को मा0 राज्यपाल की सूचनार्थ,

2-श्री कुलदीप सिंह सेंगर, ग्राम-माखी, पोस्ट-माखी, जिला-उन्नाव,

3-उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण,

4-जिलाधिकारी, जनपद-उन्नाव,

5-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

6-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

7-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,

8-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

बृज भूषण दुबे,
विशेष सचिव।

संख्या : 251(2)/वि0स0/प0का0/79(प)/2019, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली (फैक्स सं0 011-2305 2007/2305 2525) को श्री कुलदीप सिंह सेंगर की विधान सभा की सदस्यता निरर्हित होने के फलस्वरूप हुई उक्त रिक्ति की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

बृज भूषण दुबे,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0 313 विधान सभा (522)-20-02-2020-600 प्रतियां (कम्प्यूटर)।